Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका

डॉ0 हेमलता
आडिटर, स्थानीय निधि
लेखा परीक्षा विभाग
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश :– वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। आधुनिक सामाजिक परिवेश में राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता ने ऐसे वातावरण को जन्म दिया है, जिसमें महिलाएँ स्वयं को अब स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। इन महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के उपबन्ध, अधिनियम और योजनाओं ने उनके लिये जहाँ शिक्षा के नये अवसर प्रदान किये है, वहीं इन महिलाओं के लिये नये राजेगार के अवसर भी बढ़ाये हैं। वर्तमान परिवेश में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के बढ़ती क्षमताओं को स्वीकार भी किया जा रहा है। भारतीय संवैधानिक उपबंधों ने महिलाओं को बराबर का हक दिलाया है, तथा इसके साथ–साथ अधिनियमों ने इन महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया है। इनके सामाजिक जीवन के मूल्यों में बदलाव आने से सकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हो रहा है, ऐसे इन महिलाओं के दायित्वों की रूप रेखा भी नये परिवेश के साथ परिवर्तित हो रही है। प्रस्तुत शोध के महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तीकरण, संवैधानिक उपबन्ध, मूल्य, सामाजिक परिवेश।

भारत में आजादी की लड़ाई के पश्चात् नीति निर्माताओं ओर संविधान विशेषताओं ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और उनकी सहभागिता देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं वरन् आवश्यक है, मानकर संविधान में बराबरी का दर्जा दिया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते हैं, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्या स्वरूप स्पष्ट दिखाई देखे हैं। इससे महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है।

समाजशास्त्री पी0एन0प्रभू ने अपनी पुस्तक ''भ्पदकप ैवबपंस व्तहंदप्रंजपवद'' में लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में भी महिलाओं और पुरूषों में कोई भेद नहीं था तथा दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।[1]

समाजवैज्ञानिक के0एम0 कपाड़िया ने अपनी पुस्तक ''डंततपंहम ंदक ठिपसल पद प्दकपं'' में लिखा है कि स्त्री अपने घर की साम्रज्ञी होती थी।[2]

समाजशास्त्री ए0यस0अल्तेकर का मानना है कि वेद युगीन स्त्रियां समस्त अधिकारों की भोक्ता थी। कालान्तर में सामाजिक अस्तित्व में आई सामाजिक रूढ़ियों ने नियम कानूनों से बंधकर धीरे–धीरे महिलाए समाज में कमजोर हो गयी। समाज के अन्य लोग अपनी सुविधानुसार सिर्फ इनका भोग किया और पीछे ढकेलते गये, धीरे–धीरे इनका दायरा सिमटता गया।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, आज महिलाएँ, पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिक तथ्य बन चुका है।[3] यही कारण है कि वर्तमान में महिला आन्दोलनों, नारी वर्गीय कार्यक्रमों और संगठनों का जन्म हुआ। महिलाओं का संगठन तो प्रायः बीसवी सदी के प्रारम्भ में ही अस्तित्व में आ गये थे।[4] महिलाओं के सशक्तीकरण में सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महिला सशक्तीकरण से जुड़े संवैधानिक उपबंध :

केन्द्र सरकार में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए है। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है।[5] भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है–

अनुच्छेद 14 – राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।

अनुच्छेद 15–लंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।

अनुच्छेद 15 (3) – महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण।

अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19 – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23 – बलात्, बेगार और दुर्व्यवहार की मनाही।

अनुच्छेद 24–14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।

अनुच्छेद 39 – समान रूप से जीविका, समान वेतन एवं गरिमामय वातावरण का निर्माण।

अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत, मानवाधिकार दशाओं का निर्माण तथा प्रसूतिकाल में सहायता।

अनुच्छेद 47 – स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर में सुधार।

अनुच्छेद 51 क (ढ) महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध जारी प्रथाओं का स्थान एवं समरसत्ता एवं भातृत्व की भावना का विकास।

अनुच्छेद 243 घ– पंचायतो में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 243 न– किसी भेदभाव नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 325– भेदभाव बिना किसी निर्वाचक में सम्मिलित होने का अधिकार।

महिला सशक्तीकरण से जुड़े अधिनियम :

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयोग औपनिवेशकाल से ही किया गया। उनसे जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में शुरूआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल

विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929), अंग्रेजी हुकमत द्वारा क्रियान्वित कर समाजज कोक जागरूक बनाने में एक कदम था। इन अधिनियमों से यद्यपि कोई विशेष सफलता तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु ये अधिनियम–महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रेरणा स्रोत साबित हुआ।[6]

स्वतंत्रता पश्चात् महिला उन्मुख वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए अधिनियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (1956), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1995) सन् (2005) में संशोधित, कारखाना अधिनियम (198) 1986 में संशोधित, दहेज निषेध अधिनियम (1961) सनृ 2012 में संशोधित, प्रसूति–प्रसुविधा अधिनियम (1951), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम (1969), भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम (2001), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक (2012) और महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक (2013) मुख्य है।

महिला सशक्तीकरण से जुड़ी अन्य प्रमुख योजनाएँ :

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिये समय–समय पर अधोलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करती रहीं–

(1). स्वावलम्बन योजना : इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को शामिल किया है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहयता दी जाती है।

(2). राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति : राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनुभव की गई जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तीकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना के तौर पर बनायी गई थी।

(3). बालिका प्रोत्साहन योजना : वर्ष 2006–07 के आर्थिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा आठ पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रूपये एकमुश्त राशि दी जाती है।

(4). किशोरी शक्ति योजना : वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है– पहली योजना ''गर्ल टू गर्ल एप्रोच'' तथा दूसरी योजना ''बालिका मंडल योजना।'' पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है।

(5). महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना : यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित की गई। इसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंको के द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिये योजना का संचालन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक द्वारा अपनी कुल ऋण राशि का 5 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान किया जाता है।

(6). जननी सुरक्षा योजना : 1 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। वर्ष 2005–06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उद्योग के रूप में घोषित किया गया है।

(7). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2003 से वह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

(8). महिला किसान सशक्तीकरण योजना : वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(9). जननी, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनती शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून, 2011 को प्रारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है।

वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ महिलाएँ अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में महिला मजबूर नहीं, मजबूत नजर आ रही हैं। आज महिलाएं अपने एवं परिवार से सम्बन्धित निर्णयों में काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। वर्तमान में महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया, जिसमें वे संगठित होकर अपने सतत विकास को प्राप्त कर रही है।

महिला अधिकारों ने सशक्तीकरण की दशा में जो बड़ा आधार तैयार किया है उसमें शिक्षा मील का पत्थर साबित हुई। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्ख्या भी बढ़ने लगी है।

महिला अधिकार और सशक्तीकरण भारतीय समाज की आवश्यकता हैं किसी एक वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाएँ हमारे समाज का हिस्सा है, उनकी तरक्की को किसी भय या शंका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों वर्गों का दायित्व एक–दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देना होना चाहिए। जहाँ पुरुष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, वहीं महिलाओं को भी बदलते परिवेश में उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जो अभी तक पुरुषों के लिए निर्धारित थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पी0एन0प्रभू, हिन्दी सामाजिक संगठन, पृ0 258
2. के0एम0कापड़िया, भारत में विवाह एवं परिवार, पृ0 25
3. ए0एस0अल्तेकर, महिला में हिन्दू सभ्यता, पृ0 33
4. डॉ0एम0ए0 लवानिया, भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, पृ0 11
5. कुरूक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार, 2016, पृ0 33
6. www.wekipidea.com